न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

अजब सिंह गुर्जर आर टी आई कार्यकर्ता गांव सींगनपुर पोस्ट जमूरा तहसील मासलपुर जिला करौली — अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली — रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं.–26/19 ता.रजु–22.10.19

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–18.11.2019

1. अपीलाण्ट उपस्थित नहीं।
2. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर तिवाडी झूमरलाल स्वरूपलाल जयपुर की पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के पत्रांक न्याय/2019/2146 दिनांक 28.03.2019 द्वारा जारी विज्ञप्ति बाबत सम्पूर्ण पत्रावली की सत्यापित प्रति चाहने बाबत आवेदन किया जिसकी सूचना उपलब्ध नही करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
3. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
4. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली से प्राप्त जबाव पत्रांक 504 दिनांक 15.11.2019 से अवगत कराया गया है कि कार्यालय के पत्र क्रमांक 432 दिनांक 11.10.2019 से अपीलाण्ट को सूचित किया जा चुका है।
5. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
6. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
8. निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.12.06 17:14:21 IST
Reason: SelfAttested